उपस्थित – सतीश मणि त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जानकीनगर, पूर्णियॉ

जी.आर. वाद संख्या –1447/2019

राज्य

बनाम

प्रमिला देवी एवं अन्य

अनुमंडल न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जानकीनगर (पूर्णियाँ)

समक्ष – सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

निर्णय दिनांक – 29.04.2026

जी.आर. वाद संख्या –1447/2019

सी0 आई0 एस0:–1447/2019

जानकीनगर थाना कांड संख्या 66/2019

प्रपत्र – क

अभियोजन	बिहार राज्य द्वारा थाना जानकीनगर
अभियोजन की ओर से	विद्वान अनुमंडल अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	ए1. प्रमिला देवी, पति – कुशेश्वर महतो, उम्र – 55 वर्ष, ए2. कुशेश्वर महतो, पिता – स्व0 मुशहरू महतो, उम्र – 60 वर्ष, ए3. प्रियंका देवी, पति – टुनटुन महतो, उम्र – 30 वर्ष, ए4. रंजन देवी उर्फ रंजु देवी, पति – विशुनदेव महतो, उम्र – 50 वर्ष, ए5. रानी कुमारी, पिता – किशुन महतो, उम्र – 18 वर्ष, ए6. रतन कुमार, पिता – विशुन महतो, उम्र – 30 वर्ष सभी साकिन– तीनकोनमा, वार्ड नं0 – 12, थाना – जानकीनगर, जिला – पूर्णियॉ।
अभियुक्त की ओर से	विद्वान अधिवक्ता श्री जयचंद प्रसाद
घटना दिनांक	29.04.2019
प्राथमिकी दिनांक	10.05.2019
संज्ञान दिनांक	29.11.2021
सारांश दिनांक	30.05.2023
साक्ष्य आरंभ तिथि	26.06.2023
निर्णय सुरक्षित दिनांक	09.04.2026
निर्णय तिथि	29.04.2026
दण्डादेश दिनांक (यदि हो)	दोषमुक्त

प्रपत्र – ख

अभियुक्त का विवरण

क्र0 सं0	नाम	गिरफ्तार/समर्पण दिनांक	मुक्ति दिनांक	अभियोजनाधीन अनुच्छेद	बरी किया गया या दोषी ठहराया गया	दण्डादेश	विचारण/जांच के दौरान अभिरक्षा अवधि
1.	प्रमिला देवी	18.10.2022	18.10.2022	143, 341, 323, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कुशेश्वर महतो	18.10.2022	18.10.2022	143, 341,	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

				323, 506 भा0द0वि0			
3.	प्रियंका देवी	18.10.2022	18.10.2022	143, 341, 323, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	रंजन देवी उर्फ रंजु देवी	18.10.2022	18.10.2022	143, 341, 323, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	रानी कुमारी	18.10.2022	18.10.2022	143, 341, 323, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	रतन कुमार	18.10.2022	18.10.2022	143, 341, 323, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

प्रपत्र – ग

अभियोजन एवं बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों की सूची

अभियोजन साक्षी

अभियोजन साक्षी संख्या– 1 – भिखनी देवी (सूचिका)।

बचाव साक्षी – कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य – कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य – कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

जप्त सामग्री – कुछ नहीं।

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने का अभियोग है।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि सूचिका भिखनी देवी ने इस आशय का लिखित शिकायत थाने में दिया कि दिनांक 29.04.2019 को 7 बजे सुबह सूचिका के भैंसुर कुशेश्वर महतो अपने हिस्से की जमीन में घास बोये हैं उसको उखाड़ने की बात को लेकर सूचिका की गोतनी प्रमिला देवी, कुशेश्वर महतो, प्रियंका देवी, रंजन देवी, रानी कुमारी, मीरा देवी, रतन कुमार सभी सूचिका के घर के पास एकसाथ आकर गाली–गलौज करने लगे तथा लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगे। कुशेश्वर महतो सूचिका का हाथ पकड़ लिये तथा अन्य सभी अभियुक्तगण उसे जमीन पर पटक दिये तथा प्रियंका देवी लकड़ी का पीढ़ा और लकड़ी के तख्ता से मारने लगी। मारपीट के क्रम में किसी ने सूचिका के कान से सोने का बाली खींच लिया। सूचिका के लिखित शिकायत के आधार पर थाना जानकीनगर के प्राथमिकी सं0 66/2019, दिनांक 10.05.2019 अंतर्गत धारा 143 341, 323, 379, 506 भा0दं0सं0 प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के पश्चात मामले को सत्य पाते हुये अनुसंधानकर्ता के द्वारा उपरोक्त नामिल अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोग–पत्र समर्पित किया गया।

3. न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम श्रेणी, पूर्णियॉ के न्यायालय के द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात

उपस्थित – सतीश मणि त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जानकीनगर, पूर्णियॉ

जी.आर. वाद संख्या –1447/2019

राज्य

बनाम

प्रमिला देवी एवं अन्य

अभियुक्त मीरा देवी की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध न्यायिक कारवाई समाप्त की गयी। तत्पश्चात यह अभिलेख अंतरण पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम श्रेणी, बनमनखी के न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे उनके द्वारा इंकार किया तथा वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु निश्चित की गयी। अंतरण पश्चात यह अभिलेख इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तगण ने अपने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण में अपने विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों को गलत एवं स्वयं को निर्दोष होना वर्णित किये।

5. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष विचाराधीन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गये अभियोग को युक्तियुक्त शंकाओं से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>मंतव्य</u>

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में एकमात्र साक्षी भिखनी देवी (सूचिका) को साक्षी सं0 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. बचाव पक्ष के द्वारा बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से इस प्रकरण में मात्र सूचिका को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से न तो अनुसंधानकर्ता और चिकित्सकीय साक्षी को प्रस्तुत किया गया है जिस कारण से अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के द्वारा इस कांड की सूचिका को प्रस्तुत किया गया है जिसने अभियोजन के मामले का पूर्णतया समर्थन किया है जिस कारण से अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाये।

9. इस विचारणीय प्रश्न के संबंध में सर्वप्रथम साक्षी सं0 1 सूचिका भिखनी देवी के साक्ष्य पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में वर्णित किया है कि घटना करीब 4 वर्ष पूर्व सुबह 7 बजे की है। मैं अपने खेत पर थी, खेत जाने के रास्ते पर मकई का घास हो गया था, उसी को हटाने के लिये बोली तो प्रमिला देवी, रंजन, मीरा, रतन और रानी देवी गाली–गलौज करने लगे। प्रियंका पीढ़ा से मारी। सब मारकर मुझे गिरा दिये। मुझे सर में चोट लगा था। घटना की सूचना जानकीनगर थाना में दी। वहां ईलाज कराने के लिये कहा गया तब बनमनखी अस्पताल में ईलाज हुआ। पुलिस घटनास्थल पर आकर पूछताछ की थी। न्यायालय में उपस्थित रंजन देवी, प्रियंका देवी, प्रमिला देवी तथा कुशेश्वर महतो को पहचानती हूॅ। अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

10. अभियोजन का संपूर्ण मामला साक्षी क्रमांक 1 सूचिका भिखनी देवी के साक्ष्य पर निर्भर है। यद्यपि कि इस साक्षी ने अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं के साथ गाली–गलौज कर मारपीट किये जाने का कथन किया गया है परंतु इस साक्षी के न्यायालीय कथन एवं पुलिस को दिये गये कथन में गंभीर एवं तात्विक विरोधाभास है। इस साक्षी ने अपने न्यायालीय कथन में घटना खेत पर होने का कथन किया है परंतु इस साक्षी के द्वारा पुलिस को घटना वादिनी के भैंसुर कुशेश्वर महतो के गोहाल पर होना वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी के द्वारा अपने न्यायालीय परीक्षण में वर्णित किया है कि थाना से बनमनखी सरकारी अस्पताल में ईलाज करवाने के लिये भेजा गया तब वह बनमनखी सरकारी अस्पताल में ईलाज करवायी परंतु अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में सूचिका के जख्म प्रतिवेदन को प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही चिकित्सकीय साक्षी को ही परीक्षित कराया गया है। सूचिका के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में वर्णित किया गया है कि उभय पक्ष के बीच रास्ते को लेकर पहले भी मारपीट हुआ है जिससे स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच रास्ते को लेकर पूर्व से विवाद है। ऐसी दशा में एकमात्र सूचिका के साक्ष्य बिना सम्पुष्टि के अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को साबित करने के लिये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में अन्य किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में बिना अन्य साक्ष्य के सम्पुष्टि के कारण एकमात्र सूचिका का साक्ष्य अभियुक्तगण पर लगाये गये अभियोग को साबित करने के लिये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

11. सूचिका के लिखित शिकायत के अवलोकन से प्रतीत होता है कि घटना दिनांक 29.04.2019 की है तथा सूचिका के द्वारा घटना की रिपोर्ट 10 दिन बाद दिनांक 10.05.2019 को दर्ज करायी गयी है जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण सूचिका के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में विलंब से दर्ज कराये गये प्राथमिकी के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रतीत होता है। फलतः

<u>आदेश</u>

12. उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **प्रमिला देवी, कुशेश्वर महतो, प्रियंका देवी, रंजन देवी उर्फ रंजु देवी, रानी कुमारी एवं रतन कुमार** को **भा0द0वि0 की धारा 143, 341, 323, 506** के आरोपों में सिद्धदोष न पाते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है। चूंकि अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः उन्हें तथा उनके प्रतिभूगण को बन्धपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/–
(सतीश मणि त्रिपाठी)
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
जानकीनगर, पूर्णियॉ।
29.04.2026

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(सतीश मणि त्रिपाठी)
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
जानकीनगर, पूर्णियॉ।
29.04.2026